न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 49/2020
GCMS NO. : 2020/00110

–:: प्रार्थीया ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. इन्दिरा पुत्री मांगीलाल जाति–सीरवी, निवासी पृथ्वीपुरा हाल निवासी हुनावासकलां बेरा हनुमानसागर नोकडा तहसील जैतारण।		1. प्रेमकिशोर पुत्र मांगीलाल 2. नाथीदेवी पत्नी मांगीलाल जातियान–सीरवी निवासीगण–पृथ्वीपुरा तहसील जैतारण जिला–पाली। 3. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण तहसील –जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 16/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री चन्दनसिंह गोयल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 26/05/2022**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली में सायल एवं गैरसायल की सामलाती खातेदारी एवं पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 57 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकवा 50 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 33 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 44 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 50 बीघा 11 बिस्वा की आई हुई है। उक्त वर्णित आराजी सायला एवं गैरसायलान संख्या 1 से 2 की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी सायला के पिता मांगीलाल पुत्र उमा जी के नाम संवत् 2056 से 2059 के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी तथा इसके पश्चात् सायला के पिता के फौत होने के बाद जो फौतेदगी म्युटैशन संख्या 308 दिनांक 11/10/2001 को पारित किया गया था वो तत्काली पटवारी व आर.आई. ने बिना [illegible] वारिसान की जांच किये ही मात्र गैरसायलान संख्या 1 व गैरसायलान संख्या 2 के नाम पारित कर दिया जो कि एक गलत इन्द्राज था क्योंकि सायला [illegible] मांगीलाल जी की जायन्दा पुत्री हैं जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रार्थना–पत्र में अंकित वंशावली से स्पष्ट है। वंशावली के अनुसार मांगीलाल जी के तीन वारिस थे और मांगीलाल जी के फौत होने के पश्चात मात्र गैरसायलान् संख्या 1 व 2 के नाम म्युटेशन पारित कर दिया जो कि पूर्णतया गलत इन्द्राज है क्योकि उपरोक्त वर्णित आराजी पैतृक पुश्तैनी आराजी होने से सायला का भी हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत हक हिस्सा व अधिकार निहित है व सायला का उपरोक्त वर्णित आराजी मे बाई बर्थ यानि जन्मतः अधिकार प्राप्त है। इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र मे वर्णित वादग्रस्त भूमि में सायला को गैरसायलान संख्या 1 व 2 के साथ बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजी जो कि सायला की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है एवं मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज हो जाने मात्र से सायला का उक्त आराजी मे हक हिस्सा अधिकार खत्म नही हो जाते क्योकि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है और गैरसायलान जो कि जानबुझकर सायला को उसके हक अधिकारो से महरूम करने की नियत से धीरे–धीरे अब आगे रहन, बेचान, बक्सीस, हस्तान्तरण करने को आमादा है तथा मौके पर निर्माण कार्य कर सायला की आराजी को खूर्द–बुर्द कर सायला को आराजी से बेदखल करने को आमादा है। यदि गैरसायलान अपने इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाते है तो सायला अपने हक हकूको व अधिकारो से महरूम हो जायेगी और उसे अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति से हाथ धोना पडेगा और यदि गैरसायलान् सायला को मौके से बेदखल कर किसी अन्य को रहन बेचान करेगे तो मौके पर ही विवाद होगा लडाई झगडा होगा जबकि सायला ऐसा नही करके कानूनी तरीके से अपने हक अधिकारो की घोषणा करवाने के लिये यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। दिनांक 14/09/2020 को सायला जब मौके पर गयी तो गैरसायलान् सायला के हक हिस्से की आराजी मे दखलन्दाजी करने लगे तथा सायला को ऐलानिया धमकी दी कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड मे नही है इसलिए सम्पूर्ण आराजी हम बेचान करेगे एवं मौके से तुम्हे बेदखल कर देंगे तब सायला ने राजस्व रेकर्ड की सारी नकले दिनांक 14/09/2020 प्राप्त की तो उसे जानकारी हुई कि उसके पिताजी के फौत होने के पश्चात उसका नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही हुआ तब सायला ने गैरसायलान संख्या 1 व 2 को कहा कि तुम्हारे साथ मेरा भी नाम इन्द्राज करवा दो तो गैरसायलान् ने स्पष्ट इन्कार कर दिया तब सायला के पास कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि में से सायला अपने हक हिस्से व बंट की आराजी मे काश्त मुतालिक कुल कार्य खडाई बुवाई कटाई आदि करे तो गैरसायलान् उनके हाली एजेन्ट नौकर चाकर आदि दखल व दस्तन्दाजी नही करे तथा उक्त पैतृक पुश्तैनी आराजी के [illegible] रेकर्ड में दर्ज गैरसायलान अपने नाम का नाजायज फायदा उठा[illegible] अन्य को बेचान हस्तान्तरण आदि नही करे एवं न ही सायला को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् रखी जाने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सा.मि. है।

गैरसायल संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया कि प्रार्थना-पत्र का पद संख्या 1 में लिखे तमाम तथ्य स्वीकार करते है। पद संख्या 2 में लिखे तथ्य नामंजूर व अस्वीकार है। गैरसायल संख्या एक प्रेमकिशोर के पिता मांगीलाल की दिनांक 24/08/2000 को इंतकाल हो गया जिसका गैरसायल प्रेमकिशोर ने गरनिया पंचायत से जन्म मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत गरनिया के रजिस्टर में नाम दर्ज कराकर दिनांक 08/09/2000 को ग्राम पंचायत गरनिया से जारी करवा देता है एवं तत्पश्चात तत्कालीन पटवारी व आर.आई. से फौतेदगी मयुटेशन हेकतू कार्यवाही करवाता है एवं तत्कालीन पटवारी व आर.आई. ने पूर्ण रूप से जांच कर कानून को मध्य नजर में रखते फौतेदगी म्युटेशन संख्या 308 दिनांक 11/10/2001 को मांगीलाल के विधिवत् वारिसान प्रेमकिशोर व नाथीदेवी ही होने से इन दोनों को ही विधिवत् वारिसान मानते हुए इन दोनो के हक मे फौतेदगी म्युटेशन पारित किया गया जो स्वीकृत किया गया। सन् 2000-2001 मे हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत लडके के समान बराबर हक अधिकार कानून ही लागू नहीं हुआ था। प्रार्थना-पत्र का पद संख्या 3 व 4 नामंजूर व अस्वीकार करते है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनात्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायला/वादीया द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 57 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकवा 50 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 33 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 44 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 50 बीघा 11 बिस्वा सामलाती व पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 92ए प्रस्तुत [illegible] विचारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई [illegible] किया है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू-[illegible] संवत् 2056-2059 तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

उक्त जमाबंदी में नामान्तरकण संख्या 308 विरासत दिनांक 11/10/2001 के नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खातेदार मांगीया पुत्र उमा के फौत होने पर गैरसायल संख्या 1 व 2 के नाम विरासत का नामांतरण भरा गया। सायलान द्वारा स्वयं को तत्कालीन खातेदार की जायंदा पुत्री होने के कथन किये है। उक्त तथ्यों का गैरसायलान द्वारा खण्डन भी नही किया गया है तथा जवाब प्रा.पत्र के विशेष विवरण के फिकरा संख्या 2 में इसे स्वीकार भी किया कि गैरसायल संख्या 1 व 2 सायला के भाई व माँ है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार पिता के निर्वसीयत फौत होने पर सभी वारिसानों का उसकी संपत्ति में समान हक–अधिकार निहित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायला द्वारा वादपत्र में वर्णित हक–हिस्से तक उसके पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम बिंदू सायला के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पैतृक आराजी में समस्त वारिसानों का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। गैरसायल संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब व दौराने बहस ऐसे कोई कथन नहीं किये जिससे कि यह साबित होता हो कि किस प्रकार तत्कालीन खातेदार मांगीया पुत्र उमा के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी में सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है। अतः यह बिंदू भी सायला द्वारा वादपत्र में वर्णित हक–हिस्से तक उसके पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि प्रथम दोनों बिंदू सायला के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही, वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में गैरसायल संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज है अतः उक्त आराजी के हस्तांतरण, बेचान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी व सायला को सुगम न्याय निर्णयन में अत्यधिक विलंब कारित होगा। जिससे सायला को वादपत्र में वर्णित अपने हिस्से के संबंध में अपूरणीय क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है। गैरसायलान द्वारा इस बिंदू के संबंध में अपने जवाब व दौराने बहस कोई कथन नहीं किये। अतः यह बिन्दू भी सायला के हक–हिस्से तक उसके पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हम गैरसायल संख्या 1 व 2 को प्रश्नगत आराजी में सायला के वादपत्र में वर्णित हक–हिस्से का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

ताफैसला वाद सरहद मौजा पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 138 रकबा 57 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकवा 50 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 33 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 44 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 50 बीघा 11 बिस्वा भूमि में सायला के हक-हिस्से का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 26/05/2022 को सरे-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला-पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:34 IST
Reason: SelfAttested